संख्या- 8 /2025/ 39/चार-2025-1885702

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2025**

विषय:- संस्कृति विभाग, उ0प्र0 एवं अमर उजाला के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 04 व 05 जनवरी, 2025 को ''संगम: संस्कृतियों का महाकुम्भ'' के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3917/सं0नि0-15(96)/2024-25, दिनांक 02 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्कृति विभाग, उ0प्र0 एवं अमर उजाला के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 04 व 05 जनवरी, 2025 को ''संगम: संस्कृतियों का महाकुम्भ'' के आयोजन के अवसर पर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यवस्थाओं हेतु निम्नवत् व्यय प्रस्तावित किया गया है :-

सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकरों के मानदेय विवरण				
क्र0	दिनांक	सांस्कृतिक कार्यक्रम	कलाकार का नाम	एकमुश्त मानदेय
1.	04.01.2025	लोक गायन	सुश्री सुचिता पाण्डेय, लखनऊ	40000
2.	05.01.2025	सूफी गायन	सुश्री कंचन मीणा, लखनऊ	60000
शोभा यात्रा हेतु				
3.	04-05 जनवरी, 2025	धोबिया लोक नृत्य	श्री संजय, गाजीपुर	70000
4.		बमरसिया नगाड़ा	श्री तहेन्दर मेनीवाल, मथुरा	80000
योग-				250000

‘‘ संगम: संस्कृतियों का महाकुंभ’’ के आयोजन पर होने वाले व्यय का विवरण -

क्र.	**मदवार विवरण**	**धनराशि अनुमानित** (रू0 लाख में)
1.	दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय	2.50
2.	आवास/भोजन, स्थानीय यातायात, जलपान, अभिलेखीकरण उदघोषक मानदेय, बैक स्टेज इत्यादि पर व्यय	2.00
3.	दो दिवसीय संस्कृति विभाग, उ0प्र0 एवं अमर उजाला के कार्यक्रम हेतु रिवर फ्रन्ट चटोरी गली, गोमती नगर, लखनऊ, मंच निर्माण, जेनरेटर, मंच की साज-सज्जा, साउण्ड लाईट गोमती आरती, हीटर, 75 स्टॉल आकार 10 x 10 एवं सेल्फी प्वाइंट इत्यादि पर व्यय	30.00
कुल योग (रूपये चौतीस लाख पचास हजार मात्र)-		34.50

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति विभाग, उ0प्र0 एवं अमर उजाला के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 04 व 05 जनवरी, 2025 को ''संगम: संस्कृतियों का महाकुम्भ'' के आयोजन हेतु धनराशि रू0 34.50 लाख (रू0 चौतीस लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सूचना/ पर्यटन/ सचिवालय प्रशासन / मेला प्रशासन, प्रयागराज/ टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।
(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 8 /2025 / 39(1)/चार-2025-1885702 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।